उ0प्र0 शासन
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।
संख्या–957/69–1–13–14(104)/2013
लखनऊ: दिनांक 27- 6 -, 2014

कार्यालय–ज्ञाप

आवास और शहरी गरीबी ,उपशमन मंत्रालय द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत भारत सरकार के शासनादेश संख्या–के–14011/1/2013–यूपीए, दिनांक 24.09.2013 के द्वारा शहरी गरीबों हेतु वर्तमान में संचालित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) आरम्भ किया गया है। यह मिशन शहरी गरीबों की सामाजिक व आर्थिक समस्याओं के व्यापक एवं एकीकृत रूप से समाधान किये जाने के उद्देश्य से आरम्भ किया गया है ताकि उनकी आजीविका एवं सामाजिक स्तर में दीर्घकालीन सुधार हो सके।

2. शासनादेश संख्या–1926/69–1–13–14(104)/2013, दिनांक 28.02.2014 के द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) के संचालन हेतु राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश को नोडल और निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) को मिशन निदेशक नामित किया गया है।

3. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर प्रशासनिक और क्रियान्वयन संरचना की व्यवस्था की गयी है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) के मिशन डावयूमेन्ट में राज्य स्तर पर मिशन के क्रियान्वयन एवं संचालन के लिए राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई (एस0एम0एम0यू0) के गठन की व्यवस्था की गयी है राज्य मिशन प्रबंधन इकाई (एस0एम0एम0यू0) द्वारा प्रदेश में चल रहे अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और अनुश्रवण में सहयोग भी प्रदान किया जायेगा।

4. राज्य मिशन प्रबंधन इकाई (एस0एम0एम0यू0) राज्य मिशन निदेशक, एन0यू0एल0एम0 के अधीन कार्य करेगा, जिनके सहयोग के लिए सूडा से कम से कम 4 परियोजना अधिकारियों को नामित किया जायेगा जो क्रमशः कौशल एवं आजीविका, लघु उद्यम, क्षमता संवर्धन और वित्त एवं प्रशासन के पदभार में होगें।

5. राज्य मिशन प्रबंधन इकाई (एस0एम0एम0यू0) के अन्तर्गत एक "डेडीकेटेड एम0आई0एस0 सेल" सृजित किया जायेगा जो योजनाओ एवं कार्यक्रमो की प्रगति का आनलाइन अनुश्रवण करेगा। एस0एम0एम0यू0 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 और राजीव आवास योजना के कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पी0एम0यू0) के साथ समन्वय का कार्य भी करेगा ताकि कार्यक्रमों का अभिसरण (Convergence) सुनिश्चित हो सके।

6. राज्य मिशन प्रबंधन इकाई (एस0एम0एम0यू0) के अंतर्गत तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति की जायेगी जो क्रमशः सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास (Social Mobilization & Institution Development), आश्रय और सामाजिक अवस्थापना (Shelter & Social Infrastructure), कौशल और आजीविका (Skill & Livelihood), वित्तीय समावेश और लघु उद्यम (Financial Inclusion & Micro Enterprises), एम0आई0एस0 एण्ड एम0ई0 (Management of Information System and Monitoring & Evaulvation), एच0आर0 और क्षमता संवर्धन (Human Resource & Capacity Building) आदि क्षेत्र की विशेषज्ञता रखते हों। तकनीकी विशेषज्ञों की शैक्षिक योग्यता, कार्य एवं उत्तरदायित्व तथा भर्ती की प्रक्रिया, परिश्रामिक इत्यादि का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया गया है।

7. राज्य मिशन प्रबंधन इकाई (एस0एम0एम0यू0) और शहर स्तर पर गठित होने वाली शहर मिशन प्रबंधन इकाई (सी0एम0एम0यू0) के अंतर्गत नियुक्त किये जाने वाले तकनीकी विशेषज्ञों और सामुदायिक आयोजक (सी0ओ0) के परिश्रामिक और क्षमता संवर्धन का व्यय क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण (Capacity Building and Training) (सी0बी0 एण्ड टी0) उपघटक के मद में निर्धारित धनराशि से ही किया जायेगा। सी0 बी0 एण्ड टी0 उपघटक के मद में केन्द्रान्श 75% एवं राज्यांश 25% के अनुपात में धनराशि आवंटित की जायेगी। प्रदेश सरकार द्वारा एन0यू0एल0एम0 के लिए निर्धारित कुल बजट की 12% तक की धनराशि सी0बी0 एण्ड टी0 उपघटक हेतु की जायेगी। राज्य मिशन प्रबंधन इकाई (एस0एम0एम0यू0) को उपलब्ध करायी जाने वाली यह निधि पांच वर्ष की अवधि के लिये होगी। उक्त अवधि के पश्चात् इस मद में होने वाला व्यय राज्य सरकार को अपने वित्तीय स्रोतो से करना होगा।

राज्य मिशन प्रबंधन इकाई (एस0एम0एम0यू0) के कार्य एवं दायित्व निम्नवत् होगें :-

1. राज्य में एन0यू0एल0एम0 के क्रियान्वयन एवं संचालन में सहयोग करना।
2. शहर मिशन प्रबंधन इकाई (सी0एम0एम0यू0) की स्थापना कार्यों में सहयोग करना।
3. एन0यू0एल0एम0 के घटक विशेष में तकनीकी और व्यवसायिक समावेश उपलब्ध कराना।
4. राज्य की शहरी गरीबी कम करने हेतु रणनीति/आजीविका विकास प्लान तैयार करना।
5. शहरों को शहरी आजीविका विकास प्लान तैयार करने में सहयोग करना।
6. राज्य के अन्य मिशन और कार्यक्रमों के साथ समन्वय करते हुए अभिसरण (Convergence) विकसित करना।
7. संबंधित सरकारी अधिकारीगण/कर्मचारियों के साथ-साथ एस0एम0एम0यू0 और सी0एम0एम0यू0 के तकनीकी विशेषज्ञों जो एन0यू0एल0एम0 के क्रियान्वयन में सम्मिलित है, के लिए राज्य स्तरीय क्षमता संवर्धन कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सेमीनार और सीखने हेतु भ्रमण कार्यक्रमों का आयोजन कराना।
8. एन0यू0एल0एम0 की क्रियान्वयन प्रक्रिया, प्रगति और सर्वोत्तम प्रयासो (Best Practices) का अभिलेखीकरण करना।
9. एन0यू0एल0एम0 के क्रियान्वयन परिणामों का मूल्यांकन कराना।
10. राज्य स्तर पर एन0यू0एल0एम0 के क्रियान्वयन हेतु राज्य के विभिन्न विभागों, केन्द्र सरकार, बैंक और विभिन्न सम्वन्धित संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करना।

8. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार मिशन निदेशक, द्वारा राज्य मिशन प्रबंधन इकाई (एस0एम0एम0यू0) का तत्काल गठन करते हुये एन0यू0एल0एम0 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जायेगी।

28/6/2014

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव

सं-957 (1)69-1-13-14(104)/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 विशेष कार्याधिकारी, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
2 निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0।
3 निजी सचिव, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री, उ0प्र0।
4 निजी सचिव, मा0 श्रम व रोजगार मंत्री, उ0प्र0।
5 निजी सचिव, मा0 स्वास्थ्य मंत्री, उ0प्र0।
6 निजी सचिव, मा0 उद्योग मंत्री, उ0प्र0।

7 निजी सचिव, तकनीकी शिक्षा मंत्री, उ0प्र0।
8 निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
9 प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0शासन।
10 सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
11 प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
12 प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन।
13 प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।
14 प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
15 प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0शासन।
16 प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।
17 प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।
18 प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0शासन।
19 प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
20 प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0शासन।
21 निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
22 मिशन निदेशक, राज्य शहरी आजीविका मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
23 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव